धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 26/2021(GCMS: 2021/80) **राज्य सरकार** जरिये राकेश सोनी जिला रसद अधिकारी, कार्यालय **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम रामदुलार पुत्र रामकुमार** आयु 40 वर्ष **जाति** बिश्नोई निवासी 2 एलसी डाबला, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

23.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी रामदुलार की ओर से श्री आनन्द व्यास पूर्व में लिखित बहस पेश कर चुके है और उनकी बहस पूर्व में ही सुनी जा चुकी है। विभागीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर की बहस भी पूर्व में सुनी जा चुकी है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी ने दिनांक 23.03.2022 से जब्तशुदा वाहन पिकअप संख्या आरजे–113जीसी–6868 की अनुमानित बाजार मूल्य का पत्र प्रेषित किया, शामिल मिसल किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता की लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि दिनांक 28.05.2021 को 2:30 बजे श्री राकेश सोनी– जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, विजेनद्र पाल–प्रवर्तन अध्किारी, श्रीकरणपुर, तहसीलदार, सादुलशहर के पत्र दिनांक 28.05.2021 से प्राप्त सूचना पर पुलिस थाना लालगढ जाटान पहुचें। मौके पर वाहन आरजे–13जीसी 6868 के पास चालक राम दुलार उपस्थित मिला मौके पर वाहन आरजे–13जीसी 6868 की जांच करने पर उसमे कुल 14 प्लास्टिक के ड्रम व 04 प्लास्टिक के कैन रखे मिले। इस सम्बन्ध में रामदुलार ने बताया कि इन सब में डीजल भरा हुआ है। इसके बाद भौतिक सत्यापन करने पर 14 ड्रम व 2 प्लास्टिक के कैन में कुल 3130 लीटर डीजल व दो प्लास्टिक के कैन में 100 लीटर पैट्रोल होना पाया गया। डीजल, पैट्रोल के बारे में पूछने पर रामदुलार ने बताया कि वह पंजाब से सस्ता डीजल पेट्रोल खरीदकर राजस्थान के [illegible] ले जाकर भेजता है। मौके पर वाहन चालक रामदुलार [illegible] भण्डारण व विक्रय संबंधी कागजात/वैध दस्तावेज पेश नहीं होने के कारण मौके पर सैंपल लेने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जब्तशुदा 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल व 14 प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी व एक पिकअप संख्या आरजे–13जीसी–6868 को फर्द निरीक्षण जब्त सरकार किया जाकर ओम प्रकाश पुत्र मुरारी लाल जाति अरोड़ा निवासी रिद्धी सिद्धि, श्रीगंगानगर के मैनेजर मैसर्स कथूरिया फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर को सुपुर्दगी में जरिये सुपुर्दगीनामा दिया गया । इस प्रकार रामदुलार पुत्र रामकुमार द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार व विक्रय का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त पीकअप नम्बर आरजे–13जीसी–6868 तथा जब्तशुदा 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल व 14 प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि प्रार्थी रामदुलार का वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 6868 पिकअप में 3130 लीटर डीजल व 100 लीटर पैट्रोल परिवहन किया जा रहा था जो प्रार्थी रामदुलार द्वारा अपने खेत के प्रयोजन के लिये बिल से खरीद किया जाकर ले जाया जा रहा था। प्रार्थी रामदुलार पुत्र रामकुमार के नाम से बिल संख्या 7370 मात्रा 1500 लीटर एवं प्रार्थी के पिता रामकुमार पुत्र सोहन लाल बिल संख्या 7369 मात्रा 1630 लीटर खरीद कर ले जाया जा रहा था जो वरयाम खेड़ा स्थित पेट्रोल पम्प मैसर्स वरयाम खेड़ा फिलिंग स्टेशन से खरीद किया गया था।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी और उसके पिता संयुक्त रूप से खेती करते है जिनकी 2 एलसी [illegible] में करीब 35 बीघा कृषि भूमि है एंव गांव जांगलू तहसील [illegible] में करीब एक [illegible] बीघा से अधिक बारानी कृषि भूमि है जिसमें डीजल चलित टयूबवैल लगा हुआ है इसलिए प्रार्थी व उसके पिता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हर समय डीजल/पेट्रोल की आवश्यकता रही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने उक्त डीजल व पेट्रोल अपने कृषि कार्य के प्रयोजन हेतु लाया जा रहा था ना कि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने के लिए लाया जा रहा था।

उनका आगे कथन थ कि प्रार्थी द्वारा भारत सरकार के छूट नियमों की पालना करते हुए उक्त डीजल/पेट्रोल अपने कृषि कार्य के प्रयोजन हेतु खरीद किया गया था। पेट्रोल डीजल पर किसी प्रकार की कोई जीएसटी लागू नहीं होती है। एवं पेट्रोल व डीजल किसी भी स्टेट से अपने व्यक्गितगत कार्य के लिये खरीद किया जा सकता है। उक्त डीजल प्रार्थी पंजाब राज्य से वैद्य दस्तावेज बिल के माध्यम से खरीद किया है एवं भारत सरकार के नियमानुसार 2500 लीटर तक डीजल खरीद व परिवहन के लिए पंजीकृत व्यवहारी होना आवश्यक नहीं है।

उनका आगे कथन था कि राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार के नियम अधिप्रभावी होगें एवं केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्टेट से अपने व्यक्गितगत इस्तेमाल के लिए पेट्रोल खरीद व परिवहन कर सकता है। 2500 लीटर से कम डीजल के परिवहन पर राज्य सरकार के आरवैट के नियम लागू नही होते है।

उनका आगे कथन था कि जिला रसद अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही में किसी प्रकार का ऐस कोइ साक्ष्य एकत्र नहीं किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल अन्य किसी व्यक्ति को बेचने के उद्देश्य से खरीद किया गया है। श्रीमानजी द्वारा कि[illegible] की गई है केवल मात्र जिला रसद अधिकारी के [illegible] नोटिस दिया गया है। वर्तमान में जिला [illegible]तगासा ही औचित्यहीन है एवं केन्द्र सरकार के नियम 2500 लीटर की छू[illegible] के विरूद्ध मनमाने तरीके से भेजा गया है। प्रार्थी किसान होने के नाते एवं केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम उत्पाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

(उत्पादन, भण्डारण औरप्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के उप नियम –झ से 2500 लीटर की छूट प्रदान की गई है।

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त व्यक्तियों ने जो डीजल खरीदा था, वे किसान है और उनके द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ जमाबन्दिया एवं बिल की प्रतियां पेश की थी, जो पूर्व में ही पत्रावली में मौजूद है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि मौके पर अप्रार्थी ने कोई भी तथ्य किसान होने या अन्य किसान का डीजल परिवहन करने संबंधी पेश नहीं किया गया और मौके पर प्रार्थी/ परिवहनकर्त्ता द्वारा सस्ता होने के कारण डीजल पंजाब से खरीद का उसका राजस्थान में बेचान करने का तथ्य स्वीकार किया गया है। वाहन स्वामी की सूचना के संबंध में दायित्व इस कार्यलय का नही है व **रामकुमार पुत्र सोहनलाल प्रकरण में पक्षकार नहीं है।**

उनका आगे कथन था कि मौके पर मैसर्स वरयाम खेड़ा फिलिंग स्टेशन, वरयाम खेड़ा – हाकमाबाद, अबोहर (पंजाब) के दो बिल 7370, 7369 दिनांक 28.05.2021 के क्रमशः 1500 व 1630 लीटर डीजल के जारी है, पेश किये गये व स्वीकार किया कि यह डीजल पंजाब से खरीद कर लाया है तथा इसका बेचान उसके द्वारा किया जावेगा और बिल संख्या 7369 दिनांक 28.05.2021 में अंकित नाम अनुसार रामकुमार पुत्र सोहन लाल का होना बताया गया है जबकि उक्त रामकुमार द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र या दावा लिखित में डीजल लौटाने हेतु आदिनांक [illegible] है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति [illegible] नों को विफल करने हेतु बनाये गये है। जब्त [illegible] ल और 97 लीटर पैट्रोल रामदुलार पुत्र रामकुमार का ही है जो निर्धारित [illegible] मा 2500 लीटर से अधिक है, इसलिए राजसात करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि मौके पर अधिकारियों के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यदि मौके पर उनकी ओर से बिल और कृषि संबंधी दस्तावेज पेश किया गये होते तो उसके फर्द मौके के साथ संलग्न करके उसका विवरण फर्द मौका में अंकित किया गया होता। इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा फर्जी बिल निर्धारित स्टॉक सीमा का लाभ लेने हेतु बनाये गये है। इससे भी स्पष्ट है कि समस्त 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल रामदुलार का ही है।

उनका आगे यह भी कथन था कि जब्तशुदा वाहन को राजसात करने की एवज में वाहन जब्ती दिनांक का बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

उनका आगे यह भी कथन है कि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिला कलक्टर के स्पष्टीकरण दिनांक 17.06.2021 के बाद अप्रार्थी रामदुलार पुत्र रामकुमार के विरूद्ध लालगढ थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी, जो समक्ष न्यायालय में विचाराधीन है।

उनका आगे कथन था कि रामदुलार पुत्र रामकुमार द्वारा 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल पंजाब से पिकअप वाहन संख्या आरजे–13जीसी – 6868 बिना किसी वैद्य अनुज्ञा पत्र के परिवहन कर कब्जे में रखकर पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण व विक्रय का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज [illegible] का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जब्तशुदा 3127 लीटर डीजल व [illegible] पेट्रोल व 14 प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी व एक पिकअप वाहन संख्या आरजे–13 जीसी–6868 को राजसात किया जाकर, वाहन राजसात [illegible] एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी रामदुलार के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसक साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 28.05.2021 को श्री राकेश सोनी– जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, विजेनद्र पाल–प्रवर्तन अधिकारी, श्रीकरणपुर, तहसीलदार, सादुलशहर के पत्र दिनांक 28.05.2021 से प्राप्त सूचना पर पुलिस थाना लालगढ जाटान पहुचें। मौके पर वाहन आरजे–13जीसी 6868 के पास चालक राम दुलार उपस्थित मिला। वाहन आरजे–13जीसी 6868 की जांच करने पर उसमे कुल 14 प्लास्टिक के ड्रम व 04 प्लास्टिक के कैन रखे मिले। इस सम्बन्ध में रामदुलार ने बताया कि इन सब में डीजल भरा हुआ है। इसके बाद भौतिक सत्यापन करने पर 14 ड्रम व 2 प्लास्टिक के कैन में कुल 3130 लीटर डीजल व दो प्लास्टिक के कैन में 100 लीटर पैट्रोल होना पाया गया। डीजल, पैट्रोल के बारे में पूछने पर रामदुलार ने बताया कि वह पंजाब से सस्ता डीजल पेट्रोल खरीदकर राजस्थान के किसानों में ले जाकर बेचता है। मौके पर वाहन चालक रामदुलार से डीजल व पैट्रोल के भण्डारण व विक्रय संबंधी कागजात/वैद्य दस्तावेज पेश नहीं होने के कारण मौके पर सैंपल लेने के बाद जब्तशुदा 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल व 14 प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी व एक पिकअप संख्या आरजे–13जीसी–6868 को फर्द निरीक्षण जब्त सरकार किया जाकर ओम प्रकाश पुत्र मुरारी लाल जाति अरोड़ा निवासी रिद्धी सिद्धि, श्रीगंगानगर [illegible] फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप, लालगढ जाटान, श्रीगं[illegible] सुपुर्दगीनामा दिया गया । इस प्रकार रामदुलार पुत्र [illegible] यम उत्पाद का भण्डार व विक्रय का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के [illegible]शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त पीकअप नम्बर आरजे–13जीसी–6868 तथा जब्तशुदा 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल व 14 प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी रामदुलार पुत्र रामकुमार पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि बिल नं. 7370 – रामदुलार के नाम 1500 लीटर डीजल, बिल नं 7369–रामकुमार के नाम 1630 लीटर के है और उक्त बिल नं 7369– **रामकुमार के नाम से उक्त बिल पेश किया गया है जो कि पत्रावली में पक्षकार नहीं है और न ही उनके द्वारा** उक्त जब्तशुदा डीजल बिलों की मात्रा अनुसार डीजल वापिस प्राप्त करने हेतु अपने हस्ताक्षर से **कोई आवेदन पत्र आज दिनांक तक [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। जिससे यह साबित होता है कि जब्तशुदा समस्त डीजल अप्रार्थी रामदुलार का ही था जो वह अवैध रूप से पंजाब से परिवहन कर लाया था और उक्त एक बिल रामकुमार पुत्र सोहनलाल के नाम से जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए ही प्राप्त किये है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध लिखित बहस के साथ अप्रार्थी द्वारा जो जमाबांदी पेश की गई है वे तहसील नोखा जिला बीकानेर एवं तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर की है। अप्रार्थी रामदुलार तहसील रायसिंहनगर का निवासी हैं। रायसिंहनगर से नोखा की दूरी लगभग 200 कि.मी. है और इतनी दूरी रहने वाले व्यक्ति कृषि प्रयोजनार्थ डीजल ले जाना उचित नहीं कहा जा सकता। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ डीजल बताकर हमदर्दी प्राप्त करने का प्रयास है। अगर वास्तव में डीजल उक्त रामदुलार के साथ रामकुमार का होता तो रामकुमार अवश्य की डीजल वापिस प्राप्त करने हेतु अपना स्वयं का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता, किन्तु ऐसा नहीं किया है। **अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपना अभिभाषक पत्र भी अकेले अप्रार्थी रामदुलार के नाम से ही पेश किया है और लिखित बहस पेश करते समय रामदुलार पुत्र रामकुमार के साथ रामकुमार पुत्र सोहन लाल का नाम भी अंकित किया है,** जिसमें रामकुमार के कोई हस्ताक्षर नहीं है और न ही रामकुमार पुत्र सोहनलाल का कोई शपथ पत्र, वकालतनामा या उसका कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, लाईसेंस आदि पेश किया है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी रामदुलार के नाम से फर्जी बिल कानूनी प्रावधानों को विफल करने हेतु पेश किया हैं। इस प्रकार से न्यायलाय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार रामदुलार के कब्जे से उसके वाहन से निर्धारित सीमा 2500 लीटर डीजल अधिक डीजल अर्थात [illegible] लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल प्राप्त हुआ है। कृषक [illegible] कोई छूट का प्रावधान नहीं है। चूंकि रामदुला[illegible] में डीजल परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश,1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त डीजल के साथ 97 लीटर पेट्रोल भी जब्त किया गया है। विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश, 2000 के अनुसार 30 लीटर तक पेट्रोल भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) के किया जा सकता है इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति(License) का होना आवश्यक हैं इसलिए उक्त रामदुलार से जब्तशुदा उक्त वाहन पिकअप संख्या **RJ-13-JS-6868** मय 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश,1999 के क्लॉज 2(आई) की अवेहलना के कारण **जब्तशुदा** 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल मय 14 प्लास्टिक ड्रम व 4 प्लास्टिक कैन **एवं एक पिकअप संख्या RJ-13-JS-6868 भी राजसात किये जाते है।**

चूंकि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करवाने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी, लालगढ जाटान से स्पष्टीकरण चाहा गया था। जिस पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी रामदुलार पुत्र रामकुमार के विरूद्ध लालगढ थाना में एफ.आई.आर. संख्या 0133/16.07.2021 दर्ज करवा दी थी। धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थी रामदुलार के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:35:27 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि उक्त अप्रार्थी रामदुलार डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि रामदुलार के वाहन संख्या **RJ-13-JS-6868** का अनुमानित **बाजार भाव 5.50 लाख से 6.00 लाख रूपये है। इसलिए वाहन पर 4.50 लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य उपकरणों को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए जिला कलक्टर सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:35:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि इस प्रकरण में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरावचंन वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 30.06.2021 के अनुसार रामदुलार पुत्र राजकुमार वाहन चालक सह माल प्रभारी (वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 6868) को दिनांक 28.05.2021 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जब्त डीजल मात्रा 3127 लीटर व पेट्रोल 97 लीटर कीमतन क्रमशः 2,72,956/— व 9,275/— पर राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 76(2) of Rvat 2003 के तहत विभाग का राजस्व सुनिश्चित करने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है। इसलिए वाहन रिलीज करने से पूर्व राज्य सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने हेतु की प्रार्थना की है।

चूंकि उक्त प्रकरण में 3127 लीटर डीजल व 97 लीटर पेट्रोल एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 6868 **राजसात करने के आदेश दिये गये है।** माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन पर 4.50 लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। इस प्रकरण से उक्त वैट सम्बन्धी की कार्रवाई, को इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखी जावे।** इस आदेश की प्रति वाणिज्य कर अधिकारी/सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय प्रतिकरावचंन, वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.[illegible]2 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:27 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर